18 सितंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 79वीं बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की उनहत्तरवीं (79वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 सितंबर, 2017 को पूर्वाहन 11.30 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न **है।**

मद संख्या 79.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (01 प्रस्ताव)

(i) ट्रांस थाणे, क्रीक, एमआईडीसी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जून 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। यह अंतिम विस्तार है तथा किसी अगले विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

मद संख्या 79.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)

(i) 28 अप्रैल, 2017 के बाद 28 अप्रैल 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सीएचएल लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पिछला रिकार्ड तथा प्रस्ताव के ब्यौरों में वित्तीय विश्वसनीयता प्रतिबिंबित नहीं हुई।

(ii) 15 सितंबर, 2017 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, बंगलौर में मैसर्स मंगलौर (बहु उत्पाद) एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 सितंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 79.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

(i) उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 9.37 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस बिल्डिंग, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, आईटी बिजनेस सेंटर, फूड कोर्ट, पार्किंग की सुविधा, एटीएम, कन्फ्रेंस हाल तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं के निर्माण के लिए इनफोपार्क एसईजेड (फेज **2) में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स मुथूट इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड, कोच्चि का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 9.37 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस भवन, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, आईटी बिजनेस सेंटर, फूड कोर्ट, पार्किंग की सुविधाएं, एटीएम, कन्फ्रेंस हाल तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं के निर्माण के लिए मैसर्स मुथुट इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) बेयर शेल बिल्डिंग के विकास तथा वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन के लिए और उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड के निर्मित स्थान को पट्टा पर देने के लिए एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीपीएल) के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवनों के विकास, बेयर शेल बिल्डिंग के वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन एवं उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड के निर्मित क्षेत्र को पट्टा पर देने के लिए भी मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भवनों तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीपीएल) के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भवनों तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एमएन इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन सह विकासक करार में सहमति के अनुसार वर्तमान अवसंरचना सुविधाओं तथा विकास के लिए प्रस्तावित गतिविधियों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के साथ सहमत भूमि पर डिजाइन, इंजीनियरिंग, विकास, कमिशनिंग तथा सभी आनुषंगिक गतिविधियां प्रदान करने के लिए मैसर्स एमएन इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 79.4 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (2 प्रस्ताव)

अपर डीजीईपी, राजस्व विभाग ने कहा कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामलों में 7 जनवरी 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 74वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि ऐसे परिवर्तनों को अनुमत करने के लिए एसईजेड नियमावली में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे। तथापि, अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है और प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया कि एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए जोश के साथ कार्रवाई की जाएगी तथा इस बैठक के बाद संशोधित नियमावली के अधिसूचित होने तक अनुमोदन बोर्ड द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके बाद निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया :

(i) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स डायमंड नेशनल, प्लाट नंबर 106, 107, 148, 149 तथा प्लाट नंबर 248 पर यूनिट नंबर 406 जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ii) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण तथा प्रोपराइटरी के स्थान पर साझेदारी फर्म की संरचना के लिए मैसर्स सुर्गीमेडिक हेल्थकेयर, प्लाट नंबर 223 जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रोपराइटरशिप से पार्टनरशिप फर्म में संरचना के परिवर्तन तथा दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की**:**

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 79.5 : विविध मामले (7 प्रस्ताव)

(i) सह विकासक के दर्जा को निरस्त करने के लिए अट्टीप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स एसईजेड 3, केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स जाफिन इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक का दर्जा निरस्त करने के लिए मैसर्स जाफिन इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि सह विकासक निर्दिष्ट अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सह विकासक ने वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं किए हैं।

(ii) कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स किंग्स केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के अंतरण के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iii) कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स ग्रांड केनन एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के अंतरण के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(iv) कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के अंतरण के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(v) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(vi) (क) औपचारिक अनुमोदन के निरसन के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई) जो अबू गार्डन, ओएमआर रोड, नवालूर, चेन्नई, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

(ख) नवालूर, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 मई, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ग) दूसरी संस्था को 50 प्रतिशत से अधिक शेयरों के अंतरण के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो नवालूर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई) के उपर्युक्त तीन प्रस्तावों को इस निर्देश के साथ आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड औचित्य के साथ तर्कसंगत प्रस्ताव भेजें।

(vii) मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 8 एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की बढ़ाई गई वैधता अवधि इस प्रकार है :

क्र. सं.	**एसईजेड का नाम**	**एलओए कब तक वैध है**
1.	मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (द्रोणागिरी)	29 जनवरी, 2016
2.	मैसर्स नवी मुंबई आईटी / आईटीईएस-ए (कालांबोली)	25 जनवरी, 2016
3.	मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ((मल्टी सर्विसेज), कलांबोली	25 जनवरी, 2016
4.	मेसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (रत्न और आभूषण), उलवे	25 फरवरी, 2016
5.	मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ((मल्टी सर्विसेज उलवे)	25 फरवरी, 2016
6.	मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (आईटी / आईटीईएस ए, उलवे)	25 अक्टूबर, 2016
7.	मैसर्स नवी मुंबई आईटी / आईटीईएस-बी (उलवे)	25 अक्टूबर, 2016
8.	मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (आईटी / आईटीईएस सी, उलवे)	25 नवंबर, 2016

अनुमोदन बोर्ड ने सिडको के पत्र दिनांक 16 सितंबर 2017 को नोट किया कि महाराष्ट्र सरकार (यूडीडी) तथा एनएसएमईजेड कुछ प्रचालनात्मक एवं विनियामक मुद्दों का समाधान करने की प्रक्रिया में हैं। सिडको ने सूचित किया है कि मुद्दों पर राज्य के महाधिवक्ता की कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए 06 अक्टूबर, 2016 को मामले को उनके पास भेजा गया जिनका समाधान चार माह की अवधि के अंदर हो सकता है। बैठक में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार मुद्दों के समाधान के लिए और तीन माह तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध कर रही है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (एनएसएसईजेड) द्वारा उपर्युक्त 8 एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर 2017 के बाद तीन माह की अगली अवधि के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 79.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (3 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के विरुद्ध एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने का अनुरोध करने वाले मैसर्स संपन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अपीलकर्ता 18 सितंबर 2017 को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ और बताया कि वह ट्रेडर है तथा जॉब वर्कर्स को कार्य देकर वह माल का विनिर्माण करा रहा है और फिर उनका निर्यात कर रहा है। उन्होंने सूचित किया कि यह कार्य दिन में देर से शुरू होता है और देर रात तक चलता है। उन्होंने यह भी बताया कि नोएडा एसईजेड की टीम ने सबेरे 10.30 बजे के आसपास उनके परिसर का दौरा किया था जब कार्य शुरू नहीं हुआ था और इसलिए उस समय कोई कामगार मौजूद नहीं था जब नोएडा एसईजेड की टीम ने साइट का दौरा किया था। नोएडा एसईजेड के अधिकारियों द्वारा साइट के किए गए निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य नहीं पाया गया। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मई, 2017 के विरुद्ध मैसर्स श्री लालमहल लिमिटेड (एसएलएमएल) जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अनुमोदन समिति ने एसईजेड अधिनियम की धारा 16 (1) के तहत यूनिट के एलओए को निरस्त किया है। यह भी नोट किया गया कि अनुमोदन समिति ने यूनिट को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 3 मई 2017 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में यूनिट का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ था। यह भी नोट किया गया कि कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया तथा लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया कि कंपनी का यह मानना है कि यदि नोएडा एसईजेड द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है तो राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा उनके विरुद्ध उसका प्रयोग किया जा सकता है।

पाया गया कि यूनिट ने जॉब वर्क के लिए नोएडा एसईजेड में स्थित यूनिट से लगभग 196 किलो गोल्ड हटाया है तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 42 में निर्धारित 120 दिन की अवधि के अंदर उसे वापस नहीं लाया गया है। इसलिए निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा एसईजेड ने यह निष्कर्ष निकाला कि यूनिट द्वारा एसईजेड नियमावली 2006 का लगातार उल्लंघन किया गया है।

अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान अपीलकर्ता ने मौखिक रूप में बताया कि यदि वे कारण बताओ नोटिस का कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे तो उसका उनके विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा यूनिट के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं इसलिए वे कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में असमर्थ हैं। जहां तक कर्मचारियों के बयान का संबंध है, बताया गया कि यह दबाव में दिया गया है।

अपीलकर्ता की प्रस्तुतियों को स्वीकार्य नहीं पाया गया तथा अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

(iii) यूनिट अनुमोदन समिति, इंदौर एसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 जुलाई, 2017 के विरुद्ध मैसर्स प्रेस्टिज पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता की बात सुनी। अपीलकर्ता ने बताया कि यूनिट के विरुद्ध दर्ज किए गए उल्लंघन के एक भी प्रकरण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए उनको लगातार उल्लंघन करने वाले के रूप में मानने के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति का निर्णय सही नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि संगत दस्तावेजों जो राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त कर लिए गए हैं, के अभाव में वह 17 अक्टूबर 2016 या 10 नवंबर

2016 को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके जब यूनिट अनुमोदन समिति ने उनसे उपस्थित होने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी बताया कि 31 जनवरी 2017 को आयोजित निजी सुनवाई के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय का प्रतिनिधि मौजूद था और इस पर आपत्ति की थी। उन्होंने 18 सितंबर 2017 को अपराह्न 4 बजे से पहले अतिरिक्त पेपर जमा करने के लिए अनुमोदन बोर्ड से अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया था जिसकी अनुमति प्रदान की गई। अपनी अतिरिक्त लिखित प्रस्तुति में उन्होंने यह दोहराया है कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 16 (1) में प्रावधान के अनुसार निजी सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर विवादास्पद आदेश जारी किया गया है और यह कि एलओए की शर्तों का लगातार उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 कंटेनर बंदरगाह पर पड़े हैं और एलओए के निलंबन से लगभग 2.5 लाख रुपए प्रतिदिन के विलंब शुल्क एवं रुकाई प्रभार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, आईएसईजेड द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक **12** जुलाई **2017** में दिए गए विस्तृत कारणों को नोट किया और अपीलकर्ता के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि लगातार उल्लंघन नहीं हुआ है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 79.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (4 प्रस्ताव)

(i) वड़ापलांजी, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(i) गंगाईकोंडान, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(i) विश्वनाथपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(iv) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव - फरीदाबाद रोड, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 मई, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध किया कि 3 जुलाई 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 78वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार हरियाणा सरकार को इस मामले में 31 जुलाई 2017 तक रिपोर्ट भेजनी

थी। चूंकि 15 सितंबर 2017 तक हरियाणा सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 सितंबर 2018 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 79.8 : विविध मामले (2 प्रस्ताव)

(i) 9 सितंबर 2011 से प्रभावी 5 साल के पहले ब्लाक की अवधि को 2 साल के लिए अर्थात 8 सितंबर 2018 तक बढ़ाने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड (यूनिट 2) जो 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) 17 मई, 2012 से प्रभावी 5 साल के ब्लाक की अवधि को एक साल के लिए अर्थात 16 मई, 2018 तक बढ़ाने के लिए मैसर्स हेलियोस फोटो वाल्टिक लिमिटेड जो 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

******